

(2)

**बिहार सरकार**  
**पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना**

अधिसूचना सं०-एन०एच०-21/विविध-01-54/2011 (1570-15) पटना, दिनांक- 27-2-13


सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं०-1310 नई दिल्ली, दिनांक-12.07.2012 सह-पठित का० आ० 1563(अ०) दिनांक-12.07.2012 द्वारा अधिसूचित निम्नलिखित राजमार्ग जिन्हें राजमार्ग के रूप में अधिघोषित करते हुए इनके विकास एवं रख-रखाव करने हेतु बिहार राज्य सरकार को सौंपा गया है, का अधिग्रहण राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग के अंतर्गत किया जा रहा है:-

1.	क्रमांक	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
	(क)	राष्ट्रीय राजमार्ग नई सं०-333 (सारा.33 (नई सं०) पर बरियारपुर से प्रारंभ होकर खड़गपुर, लक्ष्मीपुर, जमुई, चकाई को जोड़ने वाला राजमार्ग) ।
	(ख)	राष्ट्रीय राजमार्ग नई सं०-327 विस्तार (सारा.327 (नई सं०) पर गलगलिया से प्रारंभ होनेवाला (पश्चिम बंगाल/बिहार) ठाकुरगंज, बहादुरगंज, अररिया, रानीगंज, भरगामा, त्रिवेणीगंज, पिपरा, सुपौल को जोड़ने वाला और बरियाही बाजार (सारा.231 (नई सं०) पर बनगाँव) पर समाप्त होने वाला राजमार्ग)
	(ग)	राष्ट्रीय राजमार्ग नई सं०-131ए (सारा.31 (नई सं०) पर कटिहार से प्रारंभ होनेवाला और सारा-27 (नई सं०) पर पूर्णियाँ पर समाप्त होनेवाला राजमार्ग)

2. उल्लिखित पथों, यथा-कंडिका-1 'क' से 'ग', का विकास/रख-रखाव राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग के अंतर्गत प्रमंडलों द्वारा निम्न प्रकार किया जाएगा:

क्रमांक	सारा. सं० (नई सं०)	पथांश का विवरण	लम्बाई (कि०मी)	राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल का नाम
i	333	कि०मी० 0.00 से 146.70 तक (सारा. 33) (नई सं०) पर बरियारपुर से प्रारंभ होकर खड़गपुर, लक्ष्मीपुर, जमुई, चकाई तक)	146.70	लखीसराय स्थित मुंगेर
ii	327 विस्तार	कि०मी० 32.75 से कि०मी० 169.31 तक (सारा.327 (नई सं०) पर गलगलिया से प्रारंभ होकर (पश्चिम बंगाल/बिहार) ठाकुरगंज, बहादुरगंज, अररिया, रानीगंज, भरगामा, जे०बी०सी० कैनल तक)	136.56	पूर्णियाँ।
iii	327 विस्तार	कि०मी० 169.31 से 259.86 तक (जे०बी०सी० कैनल से प्रारंभ होकर त्रिवेणीगंज, पिपरा, सुपौल, बरियाही बाजार) (सारा.231 (नई सं०)पर बनगाँव तक)	90.55	मधेपुरा

iv	131ए	कि०मी० 0.00 से कि०मी० 28.70 तक(रा.31 (नई सं०) पर कटिहार से प्रारंभ होकर रा.27 (नई सं०) पर पूर्णियाँ तक)	28.70	पूर्णियाँ
3.	यह आदेश अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।			
4.	पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत संबंधित कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता अपने क्षेत्राधिकार के अधीन पड़ने वाले उपरोक्त राजमार्ग (यथा कंडिका-1 'क' से 'ग') के पथांश को राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग के संबंधित प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता को हस्तांतरित कर देंगे।			
5.	उल्लिखित पथों (यथा कंडिका-1 'क' से 'ग') में चालू योजनाओं का कार्यान्वयन चालू कार्य पूरा होने तक पथ निर्माण विभाग के संबंधित प्रमंडल/अंचल/उपभाग द्वारा सम्पादित किया जाएगा तथा प्रगतिशील कार्य पूर्णतः समाप्त होने के तुरंत बाद इन्हें राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग से संबंधित प्रमंडल को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।			
6.	उल्लिखित पथों (यथा कंडिका-1 'क' से 'ग') से संबंधित पूर्व का कोई भी दायित्व राष्ट्रीय उच्च पथ उपभाग का नहीं होगा।			

 13

सरकार के संयुक्त सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक:

1570(75)

पटना दिनांक- 27-2-13

प्रतिलिपि: दो अतिरिक्त प्रतियों में, अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग पटना-7 को बिहार राज-पत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनु- यथोक्त।

 13


सरकार के संयुक्त सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक:

1570(75)

पटना दिनांक- 27-2-13

प्रतिलिपि: महालेखाकार, वीरचंद पटेल पथ, पटना के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 13


सरकार के संयुक्त सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक:

1570(75)

पटना दिनांक- 27-2-13

प्रतिलिपि: महानिदेशक, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, ट्रांसपोर्ट भवन, 1 संसद मार्ग, नई दिल्ली, भारत सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

 13


सरकार के संयुक्त सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापक:

1576(S)

पटना दिनांक- 27-2-13

प्रतिलिपि: मुख्य सचिव, बिहार, पटना/सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सचिव  
 ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/लोकायुक्त के आप्त सचिव, 4 कौटिल्य मार्ग,  
 पटना/आयुक्त एवं सचिव, मंत्रिमंडल(निगरानी), विभाग बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय  
 आयुक्त/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी  
 मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग/सभी  
 कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग/पथ निर्माण निर्माण विभाग मुख्यालय स्थित सभी  
 राजपत्रित पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु  
 प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव,  
 पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

